IN THE COURT OF SUB-JUDGE, SHAHPUR PATORI, SAMASTIPUR

P.Execution-07/2016

CHANDAN KUMAR & OTHERS .....D.H.
Vs.
DINANATH CHAUDHARY & OTHERS.....J.D.

ORDER

07.02.22 डिक्रीधारी के आवेदन दिनांक– 29.11.21 पर उभय पक्षों को सुना। उक्त आवेदन का प्रत्युत्तर निर्णितऋणी सं0–7 की ओर से दाखिल किया गया।

डिक्रीदार का अपने आवेदन में कथन है कि विद्वान न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सं0–5 द्वारा दिनांक– 16.05.18 के आदेश द्वारा इस इजराय वाद को छः महीने के लिए स्थगित रखा था तथा उक्त अवधि दिनांक– 16.11.18 को समाप्त हो गई। यह भी कहा गया कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भी यह आदेशित किया गया है कि सभी स्थगित वादों पर छः महीने के पश्चात् स्थगन आदेश स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। यह प्रार्थना की गई कि इस इजराय वाद में दखल–दहानी की प्रकिया पूर्ण की जानी चाहिए। अतः डिक्रीदार द्वारा दखल–दहानी हेतु रीट जारी करने की प्रार्थना की गई।

निर्णितऋणी द्वारा उक्त आवेदन का विरोध अपने प्रत्युत्तर में किया गया।

अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे स्पष्ट है कि पूर्व में भी डिक्रीदार ने इसी आशय का एक आवेदन दिनांक– 15.03.2019 को भी दाखिल किया था जिसपर तत्कालीन न्यायाय द्वारा आदेश पारित किया गया था। ऐसी स्थिति में समान आशय के आवेदन पर आदेश करना उचित नहीं है। डिक्रीदार न्यायालय द्वारा पारित आदेश 23.09.2019 का अनुपालन करें।डिक्रीदार का आवेदन दिनांक– 29.11.21 निष्पादित किया जाता है।

दिनांक– 28.02.2022 अग्रतर कार्रवाई।

07/02/22

अवर न्यायाधीश